न्यायालय :–अजय कुमार यदु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन म0प्र0

//~~नाम~~// अनुरोध पत्र

कमांक :957/2026 रायसेन, दिनांक : ~~.....04.2026~~ 04.05.26

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
रायसेन, जिला रायसेन म0प्र0

विषय :– कार्य विभाजन पत्रक वर्ष, 2026 के अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि जिला रायसेन एवं उसके तहसीलों में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दंड प्रकिया संहिता की धारा 14(1), 15(2) सहपठित धारा 12(1), 13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन आपराधिक कार्य विभाजन प्रस्तावित है।

अतः यह आपराधिक कार्य विभाजन अनुमोदन हेतु आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

04.05.26
(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसेन (म0प्र0)

न्यायालय : अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–रायसेन (म.प्र.)

कमांक/ /2026 रायसेन, दिनांक : **04.05.2026**

:: आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष 2026 ::

मैं **अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.),** माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र कमांक 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) सहपठित धारा 12(1), 13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक जिला रायसेन एवं समस्त तहसील, जिला रायसेन में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाऐं निश्चित् करता हूँ, जो दिनांक **05.05.2026** से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

1	2	3	4
1.	**अजय कुमार यदु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन**	**आरक्षी केन्द्र** **1. कोतवाली** **2. यातायात** **3. आबकारी विभाग वृत्त रायसेन**	**1.** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त रायसेन पूर्व व पश्चिम) एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना एवं उससे संबंधित परिवाद विलोपन एवं अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तथा क्लोजर रिपोर्ट का निराकरण करना (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमें ग्राम न्यायालय शामिल है, को है) **2.** नगरपालिका रायसेन के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रस्तुत होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।** **3.** संपूर्ण जिला रायसेन के समस्त थाना क्षेत्र, यातायात, आबकारी विभाग तथा उनकी चौकियों से उत्पन्न होने वाले एवं उक्त क्षेत्रों के समस्त आबकारी वृत्त से उत्पन्न होने वाले आबकारी प्रकरण, जिनमें जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक हो तथा धारा 49(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण। **4.** सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र, **आरक्षी केन्द्र कोतवाली** क्षेत्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **कोतवाली** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **7.** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक परिवाद संपूर्ण रायसेन जिले का ग्रहण कर निराकरण करना (विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) **8.** संपूर्ण जिला रायसेन के समस्त आरक्षी केन्द्र, कोतवाली में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

1	2	3	4
			स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **9.** आरक्षी केन्द्र कोतवाली रायसेन, यातायात, आबकारी विभाग वृत्त रायसेन से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से संबंधित प्रकरण। **10.** क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायसेन द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा सिविल जिला रायसेन के समस्त क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। **11.** संपूर्ण जिला रायसेन के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम की धारा 113/114, 115/194(1), 114/194(2) के अंतर्गत लोव्हर–लोडिंग से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। **12.** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 361 एवं 364 के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण। **13.** सिविल जिला रायसेन के समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगाये जाने का कार्य। **14.** संपूर्ण जिला रायसेन के समस्त आरक्षी केन्द्रों की परिसीमाओं से उत्पन्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के समस्त प्रकरण। **15.** जिला रायसेन क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत ग्राम न्यायालयों द्वारा दाण्डिक प्रकरणों में किये गये विनिश्चियन् के विरुद्ध ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकायें। **16.** अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर एवं अनुपस्थिति की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकार के स्वीकारण के संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों को अपने न्यायालय में दर्ज कर निराकरण करना एवं आवश्यक आपराधिक कार्य का निष्पादन कराना एवं चालान लेकर संबंधित न्यायालय को भेजना। **17.** सिविल जिला रायसेन के न्यायालय की ओर से प्रेषित परिवाद का विचारण करना। **18.** सिविल जिला रायसेन के समस्त आरक्षी केन्द्रों के मामलो के खारिजी प्रतिवेदन तथा थाना कोतवाली रायसेन, यातायात, आबकारी विभाग वृत्त रायसेन द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **19.** माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर एवं माननीय सत्र न्यायालय रायसेन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करना। **20. धारा 343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

1	2	3	4
		2. वन विभाग जिला रायसेन	**21. श्रम विभाग एवं कारखाना अधिनियम** द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। 22. केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। 23. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 24. औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। (कंडिका क.10 से 15 में जो अधिनियम उल्लेखित किये गये हैं, उनसे संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य हो, सुने जायेंगे) 25. जिला रायसेन से उद्भूत वन विधि से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण। 26. ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है।
2.	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन	आरक्षी केन्द्र 1. उमरावगंज (पुलिस चौकी खरबई सहित), 2 .अ.जा.क.	**माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार बाल न्यायालय के कार्यदिवस से भिन्न शेष कार्यदिवस में नियमित न्यायालय में कार्य संपादित करेंगी।** 1. थाना **उमरावगंज, अ.जा.क.** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों तथा आरक्षी केंद्र **कोतवाली** क्षेत्र से उद्भूत परिवाद पत्र का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उमरावगंज, अ.जा.क.** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। 4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उमरावगंज, अ.जा.क.** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। 5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उमरावगंज, महिला थाना रायसेन, अ.जा.क.** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। 7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उमरावगंज, अ.जा.क.** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। 8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उमरावगंज, अ.जा.क.** से संबंधित पुलिस द्वारा

1	2	3	4
			प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उमरावगंज, अ.जा.क.** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **उमरावगंज** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
03.	**श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज**	**आरक्षी केन्द्र** **1. सलामतपुर,** **2.पुलिस चौकी नकतरा** **3. महिला थाना रायसेन**	**माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार बाल न्यायालय के कार्यदिवस से भिन्न शेष कार्यदिवस में नियमित न्यायालय में कार्य संपादित करेंगी।** **1.** थाना **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र**सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।

1	2	3	4
			8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** आरक्षी केंद्र कोतवाली रायसेन, सांची, उमरावगंज(पुलिस चौकी खरबई सहित), सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना रायसेन से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश कमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
3.	**श्री संचित अस्थाना ,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी रायसेन**	**आरक्षी केन्द्रः– सांची**	**1.** थाना **सांची** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सांची** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सांची** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन

1	2	3	4
			(आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सांची** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सांची** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सांची** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सांची** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **कोतवाली, सांची** से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
4.	**श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज, जिला रायसेन म.प्र.**	**आरक्षी केन्द्र बेगमगंज, आबकारी वृत्त बेगमगंज**	**1.** थाना **बेगमगंज** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बेगमगंज, आबकारी वृत्त बेगमगंज** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बेगमगंज** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बेगमगंज** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित

1	2	3	4
			दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। 7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बेगमगंज** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। 8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बेगमगंज** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। 9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बेगमगंज** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम 10. आरक्षी केंद्र **बेगमगंज** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 11. नगरपालिका बेगमगंज के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रस्तुत होने वृाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।** 12. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
5.	**सुश्री श्वेता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज, जिला रायसेन**	**आरक्षी केन्द्र सुल्तानगंज**	1. थाना **सुल्तानगंज** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सुल्तानगंज** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। 4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सुल्तानगंज** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। 5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सुलतानगंज** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।

1	2	3	4
			7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सुल्तानगंज** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सुल्तानगंज** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सुल्तानगंज** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **सुल्तानगंज** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** आरक्षी केंद्र बेगमगंज, सुलतानगंज से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश कमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
6.	**श्री देवेंद्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन, म.प्र.**	**आरक्षी केंद्र 1. औबेदुल्लागंज, 2.सुल्तानुपर, 3.आबकारी वृत्त औबेदुल्लागंज**	**1.** थाना **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर, आबकारी वृत्त औबेदुल्लागंज** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर, आबकारी वृत्त औबेदुल्लागंज**क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर** क्षेत्रों से उत्पन्न

1	2	3	4
			अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** नगरपालिका **मंडीदीप** के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रस्तुत होने वृाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।** **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
7.	**सुश्री दीप्ती ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन**	–	**1.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
9.	**श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन**	**आरक्षी केन्द्रः–** **1.सतलापुर,** **2.गौहरगंज,**	**1.** थाना **सतलापुर, गौहरगंज** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सतलापुर, गौहरगंज** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।

1	2	3	4
			3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सतलापुर, गौहरगंज** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सतलापुर, गौहरगंज** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सतलापुर, गौहरगंज** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सतलापुर, गौहरगंज** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सतलापुर, गौहरगंज** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **सतलापुर, गौहरगंज** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
10	**सुश्री वैशाली बडेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन**	**आरक्षी केन्द्रः–** **1.मंडीदीप** **2.नूरगंज**	**1.** थाना **मंडीदीप, नूरगंज** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **मंडीदीप, नूरगंज** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **मंडीदीप, नूरगंज** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु

1	2	3	4
			संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **मंडीदीप, नूरगंज** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **मंडीदीप, नूरगंज** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **मंडीदीप, नूरगंज** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **मंडीदीप, नूरगंज** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **मंडीदीप, नूरगंज** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** आरक्षी केंद्र **औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, सतलापुर, गौहरगंज, नूरगंज, सुल्तानपुर** से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश कमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
12	**श्री ललित कुमार मईड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरेली, जिला रायसेन, म.प्र.**	**आरक्षी केंद्र– 1. बरेली, 2. भारकच्छ 3.आबकारी वृत्त बरेली**	**1.** थाना **बरेली, भारकच्छ, आबकारी वृत्त बरेली** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बरेली, भारकच्छ, आबकारी वृत्त बरेली** क्षेत्र

1	2	3	4
			के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बरेली, भारकच्छ** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बरेली, भारकच्छ, आबकारी वृत्त बरेली** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बरेली, भारकच्छ** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बरेली, भारकच्छ, आबकारी वृत्त बरेली** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बरेली, भारकच्छ** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **बरेली, भारकच्छ** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
13	**सुश्री अंकिता नागर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरेली, जिला रायसेन, म.प्र.**	**आरक्षी केंद्र– बाड़ी**	**1.** थाना **बाड़ी** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बाड़ी** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय

1	2	3	4
			लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बाड़ी** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बाड़ी** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बाड़ी** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बाड़ी** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **बाड़ी** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **बाड़ी** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** आरक्षी केंद्र **बरेली, बाड़ी, भारकच्छ** से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश कमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
14	**श्री मोहित रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उदयपुरा, जिला रायसेन, म.प्र.**	**आरक्षी केंद्र– उदयपुरा, देवरी, आबकारी वृत्त उदयपुरा**	**1.** थाना **उदयपुरा, देवरी, आबकारी वृत्त उदयपुरा** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन

1	2	3	4
			गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उदयपुरा, देवरी, आबकारी वृत्त उदयपुरा** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उदयपुरा, देवरी** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उदयपुरा, देवरी** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उदयपुरा, देवरी** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उदयपुरा, देवरी** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **उदयपुरा, देवरी** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **उदयपुरा, देवरी** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** आरक्षी केंद्र **उदयपुरा, देवरी** से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश क्रमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन

1	2	3	4
			दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
15	**श्रीमती सुनीता पचौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिलवानी, जिला रायसेन, म.प्र.**	**आरक्षी केंद्र– सिलवानी, बम्होरी, आबकारी वृत्त सिलवानी**	**1.** थाना **सिलवानी, बम्होरी, आबकारी वृत्त सिलवानी** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सिलवानी, बम्होरी, आबकारी वृत्त सिलवानी** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सिलवानी, बम्होरी** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सिलवानी, बम्होरी** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सिलवानी, बम्होरी** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सिलवानी, बम्होरी** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **सिलवानी, बम्होरी** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **सिलवानी, बम्होरी** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11** आरक्षी केंद्र **सिलवानी, बम्होरी** से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से

1	2	3	4
			महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश कमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 12. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
16	**श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गैरतगंज, जिला रायसेन, म.प्र.**	**आरक्षी केंद्र– गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर), आबकारी वृत्त गैरतगंज**	1. थाना **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर), आबकारी वृत्त गैरतगंज** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर), आबकारी वृत्त गैरतगंज** क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. रायसेन को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। 4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर)** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। 5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर)** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। 7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर)** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। 8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर)** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। 9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा**

1	2	3	4
			को छोड़कर) में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केंद्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर)** से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **11.** आरक्षी केंद्र **गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर)** से उद्भूत महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के विविध कार्यालयीन आदेश कमांक 942/1–23–01/4 भाग–2 एस.डब्ल्यू. रायसेन दिनांक 02.05.2017 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **12.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।

<u>सामान्य आदेश</u> :–

1. इस कार्य विभाजन पत्रक का किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस आदेश के निर्वचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जाये।
4. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों में समान रुप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी के साथ सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र का निराकरण भी करेंगे।

नोट :–किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका क. 5, 6, 7 में उल्लेखित कार्य माने जायेंगे।

5. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा एवं धारा 183 भा.ना.सु.सं. के आवेदन पत्रों का निराकरण।

6. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमार अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उन्हें पुनः आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।

7. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हों, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

8. **महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय नहीं है, संबंधित थाना क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान/अन्य कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी।**

9. **संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में प्रत्येक 02 माह में कम से कम एक बार चलित न्यायालय लगायेंगे।**

10. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा,ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

11. वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण व 138 एस.सी.एन.आई.ए. के मामलों में जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय रायसेन के न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) से संबंधित प्रकरण में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उक्त परिस्थिति में मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पश्चात् के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होंगे।

12. **अजाक थाने से संबंधित प्रकरणों एवं ऐसे मामले, जिनमें विचारण हेतु जिला में विशेष न्यायालय गठित है, में रिमांड कार्य, जिले में विशेष न्यायालय का गठन होने से मात्र सार्वजनिक अवकाश के दौरान संपादित किये जायेंगे।**

13. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय <u>अभिलेख के साथ</u> संबंधित मामले की केस डायरी भी भेजी जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304–'बी' भा.दं.वि. के प्रकरणो में एफ.एस.एल. रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे **<u>तथा सभी अजमानतीय अपराध में यदि कोई जमानत आवेदन निरस्त होता है तो, उस दशा में आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न की जाये।</u>**

14. जिला मुख्यालय/तहसील स्तर पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

15. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावे।

16. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

17. **संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।**

18. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को प्राप्त हैं।

19. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

20. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची कमांक 'ब' अनुसार किया जावेगा।

21. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ संबंधी प्रकरणो के अंतर्गत नमूना कमांक 'स' अनुसार लिया जावेगा।

22. धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के न्यायिक जिला रायसेन के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

23. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची कमांक 'अ' के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

24. इस न्यायिक जिला स्थापना पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रिक्त होकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होने पर उक्त न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों में से उद्भूत प्रकरण एवं उनमें पारित निर्णय, की गई अपील के उपरांत प्रत्यावर्तन उपरांत सुनवाई हेतु एवं अन्य आवश्यक कार्य, विधिक कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की तिथि बढ़ाने और अत्यावश्यक कार्य संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय रायसेन के न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) से संबंधित प्रकरण तथा आरक्षी केंद्र कोतवाली व सांची से उद्भूत प्रकरण की दशा में उक्त परिस्थिति में मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पश्चात् के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होंगे।

अनुमोदित

4.5.2026

(अनिल कुमार सोहाने)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायसेन (म.प्र.)

04.05.26

(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रायसेन (म.प्र.)

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–रायसेन (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025
अनुसूची–''अ''

क.	न्यायिक मजि.जो अवकाश पर रहेंगे	जिनके पास प्रभार रहेगा / प्रथम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट	कॉलम नं. 1 व 2 के मजि. अवकाश पर रहने पर द्वितीय प्रभारी न्यायिक मजि.	कॉलम नं. 1,2 व 3 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर तृतीय प्रभारी न्यायिक मजि.
1.	श्री अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन	श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन
2.	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन	श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन	श्री अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन
3.	श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन	श्री अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन
4.	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन	श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	श्री ललित कुमार मईड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
5.	सुश्री दीप्ती ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन
7.	श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
8.	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज जिला रायसेन	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन	श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	श्री ललित कुमार मईड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन

10	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	श्री मोहित रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा जिला रायसेन	श्रीमती सुनीता पचौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन
11	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	श्री मोहित रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा जिला रायसेन	श्रीमती सुनीता पचौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन
12	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज जिला रायसेन	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
13	सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज जिला रायसेन	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
14	श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज जिला रायसेन	सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
15	श्रीमती सुनीता पचौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज जिला रायसेन
16	श्री मोहित रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा जिला रायसेन	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	श्रीमती सुनीता पचौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन

अनुमोदित

4.5.2026

(अनिल कुमार सोहाने)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायसेन (म.प्र.)

04.05.26

(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रायसेन (म.प्र.)

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–रायसेन (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन आदेश, वर्ष 2025 की अनुसूची–"ब"
धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

अनुकमांक	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	आरक्षी केंद्र सलामतपुर	श्री अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, रायसेन
2.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, अ.जा.क., पुलिस चौकी नकतरा, आरक्षी केंद्र यातायात, खनिज विभाग,महिलाओं से संबंधित मामले (आरक्षी केंद्र सलामतपुर, उमरावगंज, पुलिस चौकी नकतरा, महिला थाना)	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन
3.	आरक्षी केंद्र सांची, आबकारी वृत्त रायसेन, वन परिक्षेत्र रायसेन पूर्व व पश्चिम	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन
3.	आरक्षी केंद्र उमरावगंज (पुलिस चौकी खरबई सहित), महिला थाना रायसेन, महिलाओं से संबंधित मामले (आरक्षी केंद्र कोतवाली, सलामतपुर, सांची, अ.जा.क., उमरावगंज, महिला थाना)	श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन
4.	आरक्षी केंद्र सतलापुर, गौहरगंज, वन परिक्षेत्र बरखेड़ा, बिनेका, दाहोद, चिलवाह, सुल्तानपुर, चिकलोद एवं गौहरगंज, महिलाओं से संबंधित मामले (आरक्षी केंद्र गौहरगंज, नूरगंज, सतलापुर)	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन
7.	आरक्षी केंद्र मण्डीदीप, नूरगंज, महिलाओं से संबंधित मामले (आरक्षी केंद्र औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, सुल्तानपुर)	श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन
8.	आरक्षी केंद्र औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर, आबकारी वृत्त औबेदुल्लागंज, खनिज विभाग	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज जिला रायसेन
10.	आरक्षी केंद्र बाड़ी, महिलाओं से संबंधित मामले (आरक्षी केंद्र बरेली, बाड़ी, भारकच्छ), वन परिक्षेत्र बम्होरी, बाड़ी, खनिज विभाग, आबकारी वृत्त बरेली,	श्री ललित कुमार मइड़ा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
11.	आरक्षी केंद्र बरेली, भारकच्छ	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
12.	आरक्षी केंद्र सुल्तानगंज, महिलाओं से संबंधित मामले (आरक्षी केंद्र बेगमगंज, सुलतानगंज)	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन

13.	1. आरक्षी केंद्र बेगमगंज, वन परिक्षेत्र बेगमगंज, आबकारी वृत्त बेगमगंज, 2. आरक्षी केंद्र गैरतगंज, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा को छोड़कर) नोटः– बिंदु कमांक 2 में अंकित आरक्षी केंद्र के महिआलों से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित हैं।	सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन
14.	आरक्षी केंद्र वन परिक्षेत्र गढ़ी, आबकारी वृत्त गैरतगंज	श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज जिला रायसेन
15.	आरक्षी केंद्र उदयपुरा, देवरी के (महिलाओं से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित), वन परिक्षेत्र देवरी, उदयपुरा, आबकारी वृत्त उदयपुरा	श्रीमती सुनीता पचौरिया न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन
16.	आरक्षी केंद्र सिलवानी, बम्होरी (महिलाओं से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित), वन परिक्षेत्र सिलवानी पूर्व व पश्चिम, जेथारी, आबकारी वृत्त सिलवानी	श्री मोहित रघुवंशी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा जिला रायसेन

नोटः 1. उपरोक्त कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में इस अनुसूची में वर्णित कार्य, अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

2. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में महिला फरियादी अर्थात पीड़िता की साक्ष्य यथासंभव महिला साक्ष्य लेखक / टंकणकर्ता द्वारा टंकित किया जायेगा।

3. इस अनुसूची 'ब' में वर्णित धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेने के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि अवकाश पर हो अथवा अन्यथा अनुपस्थित हो, तो उस दशा में अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन संबंधी कार्यवाही की जाएगी किंतु यदि वह प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसा हो कि जिसके न्यायालय में प्रकरण से संबंधित धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक में है, तो उस दशा में अनुसूची "अ" के कालम में वर्णित अग्रिम (Next) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही इस प्रकार के मामले में संपन्न की जावेगी।

अनुमोदित

4-5-2026

(अनिल कुमार सोहाने)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायसेन (म.प्र.)

04.05.26

(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रायसेन (म.प्र.)

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–रायसेन (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन आदेश, वर्ष 2025 की अनुसूची–''स''
एन.डी.पी.एस. से संबंधित

अनुकमांक	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, सलामतपुर, पुलिस चौकी नकतरा	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन
	आरक्षी केंद्र सांची, आबकारी वृत्त रायसेन	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन
2.	आरक्षी केंद्र उमरावगंज (पुलिस चौकी खरबई सहित),	श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन
3.	आरक्षी केंद्र मण्डीदीप, नूरगंज	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन
6.	आरक्षी केंद्र औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर	श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन
7.	आरक्षी केंद्र सतलापुर, गौहरगंज	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज जिला रायसेन
9.	आरक्षी केंद्र बाड़ी	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
10.	आरक्षी केंद्र बरेली, भारकच्छ	सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन
11.	आरक्षी केंद्र सुल्तानगंज	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन
12.	आरक्षी केंद्र बेगमगंज	सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन
13.	आरक्षी केंद्र देवरी, बम्होरी, देवनगर (पुलिस चौकी नकतरा सहित)	श्रीमती आकांक्षा शर्मा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज जिला रायसेन
14.	आरक्षी केंद्र उदयपुरा, गैरतगंज	श्रीमती सुनीता पचौरिया न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन
15.	आरक्षी केंद्र सिलवानी	श्री मोहित रघुवंशी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा जिला रायसेन

<u>नोट</u>: 1. उपरोक्त कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में इस अनुसूची में वर्णित कार्य, अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

2. इस अनुसूची 'स' में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि अवकाश पर हो अथवा अन्यथा अनुपस्थित हो, तो उस दशा में अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा उक्त कार्यवाही की जाएगी किंतु यदि वह प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसा हो कि जिसके न्यायालय में प्रकरण से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक में है, तो उस दशा में अनुसूची "अ" के कालम में वर्णित अग्रिम (Next) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कार्यवाही इस प्रकार के मामले में संपन्न की जावेगी।

अनुमोदित

4.5.2026

(अनिल कुमार सोहाने)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायसेन (म.प्र.)

04.05.26

(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रायसेन (म.प्र.)

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–रायसेन (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन आदेश, वर्ष 2025 की अनुसूची–''द''
न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु की दशा में धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की जांच

अनुकमांक	जेल का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अवधि
1.	जिला जेल रायसेन	श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन	मई, जून, जुलाई 2026
		श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2026
		श्री संचित अस्थाना न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायसेन	नवम्बर, दिसम्बर 2026
2	उपजेल गौहरगंज	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन	मई, जून, जुलाई 2026
		श्री प्रदीप कुमार परिहार, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज रायसेन	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2026
		सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज जिला रायसेन	नवम्बर, दिसम्बर 2026
3	उपजेल बरेली	श्री ललित कुमार मइड़ा, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026
		सुश्री अंकिता नागर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बरेली जिला रायसेन	सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2026
4	उपजेल बेगमगंज	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026
		सुश्री श्वेता चौहान न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज जिला रायसेन	सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2026

नोटः 1. उपरोक्त कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में इस अनुसूची में वर्णित कार्य, अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

2. इस अनुसूची 'स' में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि अवकाश पर हो अथवा अन्यथा अनुपस्थित हो, तो उस दशा में अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा उक्त कार्यवाही की जाएगी।

अनुमोदित

(अनिल कुमार सोहाने)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायसेन (म.प्र.)

(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रायसेन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक– /2026 **रायसेन, दिनांकः–.....**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
2. शीघ्रलेखक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रायसेन को सादर सूचनार्थ।
3. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय रायसेन जिला रायसेन को सादर सूचनार्थ।
4. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रायसेन जिला रायसेन को सादर सूचनार्थ।
5. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, बेगमगंज/बरेली/गौहरगंज जिला रायसेन को सादर सूचनार्थ।
6. कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी, रायसेन को सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, रायसेन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, रायसेन/बरेली/बेगमगंज/गौहरगंज/गैरतगंज/सिलवानी/उदयपुरा को सूचनार्थ।
9. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रायसेन को सूचनार्थ।
10. जिला वन मंडलाधिकारी, रायसेन/औबेदुल्लागंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, रायसेन/गौहरगंज/गैरतगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बरेली/बेगमगंज को सूचनार्थ।
12. जिला आबकारी अधिकारी, रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. श्रम अधिकारी, रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,रायसेन/बरेली/मण्डीदीप/सिलवानी/उदयपुरा/औबेदुल्लागंज/गैरतंगज/सॉची/बेगमगंज/बाडी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. जेल अधीक्षक, जिला जेल रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18. नियंत्रक, नापतोल विभाग, रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय रायसेन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. पंजीयन लिपिक, फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04.05.26

(अजय कुमार यदु)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रायसेन